



प्रेस नोट जनपद गाजियाबाद दिनांक 13.09.2021

थाना लोनी पुलिस द्वारा 04 गौ तरकर अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री पवन कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान दिनांक 13.09.2021 को थाना लोनी पुलिस को उस समय महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी जब श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय लोनी के नेतृत्व में दिनांक 13.09.2021 को अशोक विहार लोनी में गोवंशीय पशु काटने की तैयारी में 04 अभियुक्तगण 1- फिरोज़ पुत्र आशु निवासी कब्रिस्तान के पास अशोक विहार लोनी थाना लोनी गाजियाबाद 2. मोहसिन पुत्र मो० शौकीन निवासी कब्रिस्तान के पास अशोक विहार लोनी गाजियाबाद 3. नसीम पुत्र इसलाम निवासी कब्रिस्तान के पास अशोक विहार लोनी थाना लोनी गाजियाबाद 4. शकील पुत्र दिलशाद निवासी कब्रिस्तान के पास अशोक विहार लोनी थाना लोनी गाजियाबाद को अशोक विहार कब्रिस्तान के सामने से गिरफ्तार किया गया ।

अवगत कराना है कि दिनांक 13.09.2021 की रात्रि में मुखबिर की सूचना पर गोवंशीय पशु को काटने की सूचना पर पुलिस पार्टी द्वारा मौके पर पहुँच कर गोवंशीय पशु जिसे अभियुक्तगण द्वारा रस्सी से पैर व मुँह बँधे हुए थे। पुलिस पार्टी द्वारा दबिश देकर मौके से अभियुक्तगण को पकड़ा गया तथा रस्सी से बंधे हुए गोवंशीय पशु के पैर व मुँह खोलकर गोवंशीय पशु को मुक्त कराकर अभियुक्तगणों को गोवंशीय पशु को काटने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी हैं जो गैंग बनाकर स्थान बदल बदल कर गोवंशीय पशु का वध करके माँस का बिक्रय कर धन अर्जित करते हैं। पूर्व में लगभग 01 माह पूर्व अभियुक्तगणों द्वारा गोवंशीय पशु का वध कर अवशेष (गोवंश का सिर) को सहारनपुर दिल्ली मार्ग फूड ट्रेन होटल के पास नाले में फेंक दिया था। अभियुक्तगणों के अन्य साथियों की तलाश जारी है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1- फिरोज़ पुत्र आशु निवासी कब्रिस्तान के पास अशोक विहार लोनी थाना लोनी गाजियाबाद
2. मोहसिन पुत्र मो० शौकीन निवासी कब्रिस्तान के पास अशोक विहार लोनी गाजियाबाद
3. नसीम पुत्र इसलाम निवासी कब्रिस्तान के पास अशोक विहार लोनी थाना लोनी गाजियाबाद
4. शकील पुत्र दिलशाद निवासी कब्रिस्तान के पास अशोक विहार लोनी थाना लोनी गाजियाबाद

अभियुक्त फिरोज़ का आपराधिक विवरण:-

मु०अ०स०-1112/2021 धारा 3/5/8 गोवध नि० अधि० थाना लोनी गा०बाद

मु०अ०स० 1308/2021 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि० थाना लोनी गा०बाद

अभि0 मोहसिन का आपराधिक विवरण:-

मु0अ0सं0-1112/2021 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना लोनी गा0बाद

मु0अ0सं0 1308/2021 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना लोनी गा0बाद

अभि0 नसीम का आपराधिक विवरण:-

मु0अ0सं0-1112/2021 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 थाना लोनी गा0बाद

मु0अ0सं0 1308/2021 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना लोनी गा0बाद

अभि0 शकील का आपराधिक विवरण:-

मु0अ0सं0-1112/2021 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 थाना लोनी गा0बाद

मु0अ0सं0 1308/2021 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना लोनी गा0बाद

बरामदगी का विवरण:-

1. एक गोवंशीय पशु जिंदा
2. गोकशी में प्रयुक्त उपकरण
रस्सी,धारदार छुरी ,फरसा,मोमबत्ती



थाना ट्रानिका सिटी पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड के दौरान हत्या के अभियोग मे वांछित 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से आला कत्ल एक तमंचा , एक पिस्टल व एक मोटरसाइकिल बरामद

कार्यवाही:- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय श्री पवन कुमार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री डा0 ईरज रजा के पर्यवेक्षण में श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय श्री अतुल कुमार सोनकर महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना ट्रानिका सिटी श्री संदीप कुमार सिंह की टीम के द्वारा दिनांक 12.09.2021 को समय 23.15 बजे सपना तिराहे के पास आवास विकास से मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 620/21 धारा 147/148/149/302/120बी/34

भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्त 1. मदन उर्फ बच्ची पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद 2. गौरव उर्फ लड्डू पुत्र स्व0 जयप्रकाश निवासी ग्राम नूरपुर थाना खेकड़ा जनपद बागपत को मय एक तमंचा 315 बोर व एक खोखा कारतूस , एक जिन्दा कारतूस एवं एक पिस्टल 32 बोर मय दो जिन्दा कारतूस एवं एक अदद मोटरसाइकिल नं0 TVS REDON DL5SCB 1249 सम्बन्धित ई-एफ0आई0आर0 नं0 021931/21 धारा 379 भा0द0वि0 थाना क्राइम ब्रांच दिल्ली के गिरफ्तार किया गया ।

अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:

पकड़े गये अभियुक्त गणों ने पूछताछ पर बताया कि साहब हम लोग दिनेश के परिवार से मदन व दीपक पुत्र गण भीम की पुरानी रंजिश के कारण दिनांक 09.09.2021 को ग्राम पचायरा में हम दोनो और मुन्ना उर्फ राजे पुत्र भीम सिंह , सीटू सिकरानी , अजब सिंह व अजब के साथ एक अन्य हरियाणा के व्यक्ति जिसका नाम पता नही जानते है ने दिनेश की गोलिया मारकर हत्या की थी । हत्या के योजना व साजिश कैलाश पुत्र चन्द्रपाल निवासी अगरौला और जेल में रहकर दीपक पुत्र भीम , मदन पुत्र भीम , जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र तेजसिंह निवासी खानपुर जब्ती ने बनाई थी । आज हम पुलिस से बचकर कहीं जा रहे थे तो पुलिस द्वारा हमें घेर लिया गया तो पुलिस से बचने के लिए हमने पुलिस पर फायर कर दिया । बाद मुठभेड पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया ।

***नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त*:**

1. मदन उर्फ बच्ची पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद
2. गौरव उर्फ लड्डू पुत्र स्व0 जयप्रकाश निवासी ग्राम नूरपुर थाना खेकड़ा जनपद बागपत

आपराधिक इतिहास- मदन उर्फ बच्ची उपरोक्त

1. मु0अ0स - 0 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद 323/324/504/506 धारा 33/16
2. मु0अ0सं0 – 949/16 धारा 308/325/427/506 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद
3. मु0अ0सं0 257/16 धारा 147/148/149/307/506 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद
4. मु0अ0सं0 351/20 धारा 25ए एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद
5. मु0अ0सं0 536/21 धारा 147/148/149/307/504/506/34 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद
6. मु0अ0सं0 620/21 धारा 147/148/149/302/120बी/34 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद
7. मु0अ0सं0 624/21 धारा 307/411 भादवि (पुलिस मुठभेड) थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद
8. मु0अ0सं0 625/21 धारा 3/25ए एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी बा0बाद

आपराधिक इतिहास – गौरव उर्फ लड्डू

1. मु0अ0सं0 536/21 धारा 147/148/149/307/504/506/34 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद
2. मु0अ0सं0 620/21 धारा 147/148/149/302/120बी/34 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद
3. मु0अ0सं0 624/21 धारा 307/411 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद
4. मु0अ0सं0 626/21 धारा 3/25ए एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद

***बरामदगी का विवरण* -**

घटना में प्रयुक्त आलाकतल

1. एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा 315 बोर
2. एक अदद पिस्टल 12 मय दो जिन्दा कारतूस 12 बोर

3. TVS REDON मोटरसाइकिल नं0 DL5SCB 1249 सम्बन्धित ई-एफ0आई0आर0 नं0 021931/21 धारा 379 भादवि क्राइम ब्रांच दिल्ली

